न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार, आ.ए.एस.
नामान्तरकरण अपील संख्या :– 169/21

:– चम्पादेवी पुत्री श्री नथमल, जाति राव, निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।

बनाम

:–

त्यनारायण पुत्र श्री नथमल
ीताराम पुत्र श्री नथमल
नीदेवी पत्नि नथमल
र्जुन राम पुत्र श्री सीताराम
जातियान राव, निवासीगण लाम्पोलाई
तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।
ोरती पत्नी श्री भोमाराम, जाति जाट, निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।
ग्राम पंचायत, लाम्पोलाई।

अपील खिलाफ नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 30.10.1980 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 25/10/24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी स्व. नथमल जी के वारिसान है तथा सभी हिन्दू है, हिन्दू उत्तरधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। मौजा लाम्पोलाई की सरहद में पुराने खसरा नम्बर 214 रकबा 8 बीघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 9 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/1 रकबा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/2 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 4 बिश्वा में से 1/3 हिस्सा की भूमि अपीलान्ट के पिता स्व. नथमल जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। अपीलान्ट के पिता नथमल का स्वर्गवास सन् 1980 में हो गया और अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद में उनके उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी थे। उक्त खसरान की भूमि में अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट व उनके भाई–बहनों को उत्तराधिकार में सारे हक व अधिकार प्राप्त हो गये। मौजा लाम्पोलाई की सरहद में पुराने खसरा नम्बर 214 रकबा 8 बीघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 9 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/1 रकबा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/2 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 4 बिश्वा में से 1/3 हिस्सा में से अपीलान्ट का 1/12 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हो गयी और इसी हिस्सा अनुसार मौके पर सभी पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त व काबिज हो गये और आज दिन तक प्रत्येक अपीलान्ट अपने 1/12–1/12 हिस्से की भूमि पर काश्त व काबिज चले आ रहे है और अपीलान्ट महिला है तथा अपीलान्ट अपने भाई सत्यनारायण व सीताराम पर विश्वास करती थी तथा राज काज का कार्य भी सत्यनारायण व सीताराम ही करते थे मगर सत्यनारायण व सीताराम की नियत में फर्क आ गया और अपीलान्ट को उसके हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से अपीलान्ट के पिता नथमल के स्वर्गवास के बाद उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण संख्या 395 गलत रूप से केवल रेस्पोडेन्ट सत्यनारायण व सीताराम ने अपने नाम भरवाकर स्वीकृत करवा लिया गया जबकि नथमल के उत्तराधिकारी अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी थे। इनके नाम उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण भरना चाहिए था मगर सत्यनारायण व सीताराम ने अपीलान्ट से बाले–बाले गलत रूप से अपने नाम नामान्तरकरण भरवाकर स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

रवा लिया, जिससे अपीलान्ट को जानकारी अभी पटवारी हल्का से नकले लेने पर ई। नथमल के स्वर्गवास बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नथमल की ातेदारी भूमि में अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी के नाम नामान्तरकरण रना चाहिए था, मगर सत्यनारायण व सीताराम ने ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का से लावट करके केवल अपने दोनों के नाम उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण संख्या 395 रवा कर स्वीकार करवा लिया, जो विधि विरूद्ध है। जिससे नामान्तरकरण संख्या 395 ो अपास्त किया जावें। रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ने नथमल के उत्तराधिकारीगणों की बिना विधिक रूप से जांच किये बिना ही गलत रूप से केवल सत्यनारायण व सीताराम े नाम उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण भर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। जिससे ामान्तरकरण संख्या 395 काबिल अपास्त के है। स्व. नथमल के उत्तराधिकारी का ामान्तरकरण सत्यनारायण व सीताराम ने गलत रूप से बाले–बाले अपने नाम ातेदारी का इन्द्राज करवाकर फिर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम बेचान व हस्तान्तरण र दिया। जो बेचान नैनीदेवी ने विधि विरूद्ध किया है, नैनीदेवी को बेचान करने का कोई अधिकार नही है। नामान्तरकरण संख्या 395 जो ग्राम पंचायत लाम्पोलाई ने बिना उत्तराधिकारी की जांच किये गलत रूप से स्वीकृत करवाकर खातेदारी में इन्द्राज किया है, वह विधि विरूद्ध है। जिससे नामान्तरकरण संख्या 395 को अपास्त किया जाकर उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि में नथमल के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी का प्रत्येक का 1/12–1/12 का उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण भरा जावें और अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें। अपीलान्ट के पिता के भाई जयराम व रामेश्वर ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम खातेदारी करवा दी है, तो उनके हिस्से से कोई विवाद नही है। पुराने खसरा नम्बर 214, 215, 216, 215/1, 215/2 के नये खसरा नम्बर 268, 1820/270, 271, 272, 1818/268, 269, 270, 1819/270 कायम किये गये है। अपीलान्ट अनपढ महिला है। जिनको राजस्व रेकर्ड देखने का काम नही पड़ा, अभी अपीलान्ट अपनी भूमि में कृषि कार्य कर रही थी, तभी रेस्पोडेन्ट मौके पर आकर अपीलान्ट के हक व अधिकारों को चुनौती दी और अपीलान्ट के नाम खातेदारी नही होने की धमकी दी, जिससे अपीलान्ट ने दिनांक 26.08.2021 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तब उक्त सारी कार्यवाही की जानकारी हुई। जिससे अपीलान्ट यह जानकारी से अन्दर मयाद यह अपील की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री उगमाराम खालिया ने वकालतनामा पेश किया व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र गौड़ ने वकालतनामा पेश किया व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 सम्मन तामील सुदा प्राप्त हुए तथा वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 फौत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ और नैनी देवी के कायम मुकाम पहले से रेकर्ड पर होने से नैनीदेवी के आगे लाल स्याही से मृतक लिखा जावें। जिससे मूल अपील में नैनीदेवी के आगे मृतक लिखा गया और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क अपीलान्ट ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के पिता नथमल की खातेदारी की भूमि थी। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व नैनीदेवी, नथमल के विधिक वारिसान है। मगर नामान्तरकरण संख्या 395 भरते समय नथमल के केवल उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व नैनीदेवी को भरकर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने स्वीकृत कर दिया जो बिल्कुल व गलत विधि विरूद्ध किया गया जबकि अपीलान्ट भी नथमल की विधिक उत्तराधिकारी है तथा नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व नैनीदेवी के नाम भरना चाहिए था तथा अपीलान्ट नथमल की उत्तराधिकारी है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलान्ट नथमल की विधिक वारिस है और फिर नैनीदेवी ने अपने हिस्से का बेचान सीताराम को किया गया है, जो हिस्सा नथमल के वारिसान का 1/4 हिस्सा है जबकि नैनीदेवी ने अपना हिस्सा गलत बताया है और फिर सीताराम व सत्यनारायण ने मिलकर दोनों ने मिलावट करके अलग–अलग खातेदारी दर्ज करवा ली। जिससे नामान्तरकरण संख्या 395 अपास्त फरमाया जाकर नथमल के विधिक वारिसान अपीलान्ट सहित नामान्तरकरण भरा जावें और अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

जावें तथा अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी नही होने दी, जानकारी होने से नकले प्राप्त की और जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश की गई।

तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नथमल की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी अपीलान्ट को नथमल का विधिक वारिसान होने व नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकार कर देने में कोई आपत्ति जाहिर नही की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलान्ट नथमल की पुत्री जरूर है मगर यह बाहर रहती है। इस वजह से इनका नाम खातेदारी में इन्द्राज नही किया गया तथा सत्यनारायण गोद चला गया। इस वजह से इन तीनों के नाम सही रूप से नामान्तरकरण भरा गया।

अपीलान्ट की अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डन नही किया गया। जिससे जानकारी से अन्दर मयाद होना मानकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार कर देरीना अवधि को माफ कर अपीलान्ट का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाता है और इस प्रार्थना पत्र का निर्णय अलग से नही लिखा जाकर अपील के निर्णय के साथ ही पारित किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया और वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों व रेस्पोडेन्ट की स्वीकारोक्ति के आधार पर व ग्राम पंचायत लाम्पोलाई द्वारा कोई दस्तावेज व रेकर्ड प्रस्तुत नही किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट, नथमल की विधिक वारिस है और अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही करने में भूल की है। जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

आदेश

मौजा लाम्पोलाई की सरहद में पुराने खसरा नम्बर 214 रकबा 8 बीघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 9 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/1 रकबा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 215/2 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 4 बिश्वा की भूमि में नथमल पुत्र बिरदीचंद के स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 30.10.1980 को अपास्त किया जाकर नथमल के विधिक वारिसान अपीलान्ट, सत्यनारायण, सीताराम व मृतक नैनीदेवी के नाम जांच कर नथमल के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावें व खातेदारी अमल दरामद किया जावें तथा नथमल के विधिक वारिसान द्वारा उक्त आराजी के संबंध में कोई बेचान किया गया तो अपीलान्ट के हक व अधिकार प्रभावित नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 25/10/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
जिला–नागौर

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी